14/01/24

पत्रावली प्रार्थी रामचन्द्र के अधिवक्ता श्रीराम वर्मा के आवेदन पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थी/वादी ने आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है वादी वाद आगे चलाना नहीं चाहते हैं वाद बिना कराना चाहते हैं। वाद बिना कराया जाये। वादी/प्रार्थी की पहचान अधिवक्ता वादी श्री नवनीत अवस्थी द्वारा की गयी। अतः प्रार्थी/वादी के निवेदन पर वाद वादी बिना किसी शर्त के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती के काबिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
दातारामगढ़